न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 688–दो/06 विरुद्ध आदेश दिनांक ... पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्र. 249/98–99/अपील.

किशोरी लाल पुत्र श्री ...
निवासी ग्राम तिघराकलां तहसील
भाण्डेर जिला दतिया म.प्र. ...

विरूद्ध

1-- सियाराम पुत्र झुंटी नाई
2--- रामप्रकाश पुत्र झुंटी नाई
3- म. गायत्री पुत्री झुंटी नाई
4-- म. शारदा पुत्री झुंटी नाई
5--- म. श्याम कुंवर बेवा झुंटी नाई
6-- नंदराम पुत्र ललनजू नाई
7--- पहलवान पुत्र ललनजू नाई
8-- दशरथ पुत्र ललनजू नाई
9-- मंगल पुत्र ललनजू नाई
10-- पप्पू पुत्र ललनजू नाई
11-- म. प्रभा पुत्री ललनजू नाई
12-- म. शशि पुत्री ललनजू नाई
समस्त निवासीगण ग्राम तिघराकलां
तहसील भाण्डेर जिला दतिया म.प्र. ..... अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा
अनावेदक क्र. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ... श्रीवास्तव

आदेश

(आज दिनांक ... को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र. 249/98–99/अपील में पारित आदेश दिनांक ...69 ... के विरुद्ध ...

भू-- राजस्व संहिता 1959 [illegible] अधिनियम कहा जायेगा की धारा [illegible] के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार भाण्डेर प्रकरण क्र. 47/96–97/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 24-2–98 के द्वारा ग्राम [illegible] की भूमि सर्वे नं. किता 2 रकबा [illegible] हैक्टर भाग 1/2 [illegible] सियाराम [illegible] एवं 1/2 भाग पर झुंडी के स्थान पर वारिसान के आधार पर [illegible] नामांतरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 18-[illegible]–99 द्वारा अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त [illegible] आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की [illegible] अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध [illegible] निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध हैं। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा [illegible] द्वारा [illegible] के आधार पर [illegible] निकाला है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक का एक पृथक प्रकरण इस भूमि से संबंध में प्रचलित था एवं आवेदक द्वारा एक साथ सुनवाई करने का निवेदन किया गया था किन्तु उसके प्रकरण की सुनवाई नहीं की गई [illegible] कहा गया कि आवेदक [illegible] [illegible] रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा [illegible] पिता की मृत्यु उपरांत आवेदक का अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार [illegible] उक्त तथ्यों को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है

4-- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है

5-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर [illegible] अभिलेख का अवलोकन किया [illegible] यह प्रकरण नामांतरण का [illegible] न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अस्वीकार [illegible] कर द्वितीय अपील [illegible] आलोच्य आदेश पारित [illegible] अपर आयुक्त [illegible] [illegible]

एवं ललन्जू का भूमिस्वामी के रूप में समान भाग पर नाम अंकित है। [illegible] न्यायालय के समक्ष की गई उस आपत्ति को आलोच्य भूमि पर उसका [illegible] नाम अधिपति कृषक के रूप में दर्ज है इसलिए उसका नाम उसके [illegible] स्थान पर दर्ज किया जाये इसके संबंध में तहसीलदार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक भूमिस्वामी हरनारायण के फौत होने पर आवेदक का [illegible] अभिलेख में अधिपति कृषक के रूप में दर्ज नहीं रहा है इसलिए उसको आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह [illegible] स्पष्ट किया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे उसे आलोच्य भूमि पर भूमिस्वामी माना जाये। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में मौरूसी कृषक की प्रास्थिति अवधारित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को [illegible] उच्च न्यायालय [illegible] न्यायालय के निर्णयों के आधार द्वितीय अपील को अस्वीकार किया गया है। [illegible] प्रकार से तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर उनमें कोई वैधानिक त्रुटि न होने के कारण और हस्तक्षेप का कोई आधार न होने के [illegible] उसकी पुष्टि की जाती है और यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर